an>

Title: Regarding change in priority sector lending.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश में 1968 से यानी लगभग पचास सालों से प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग की बात चल रही है। 1968 में जब यह कांग्रेस के शासन में शुरू हुई तो 33 परसैन्ट प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग होती थी। प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग मतलब किसानों, शेडयूल्ड कास्ट्स, शेडयूल्ड ट्राइब्स, ओ.बी.सी. और माइनोरिटी के लिए एजूकेशन लोन 1968 से स्टार्ट हुआ। आज पचास सालों के बाद भी किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हैं। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का रहन-सहन ऊपर नहीं उठ पाया है। यदि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो माइनोरिटी की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। 1982-83 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में एक कमेटी बनी और बाद में 1985 में श्री राजीव गांधी जी ने इसे इम्पलिमैन्ट किया और 33 परसैंट की जो लैंडिंग थी, वह चालीस परसैन्ट हो गई। चालीस परसैन्ट की लैंडिंग के बाद आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस साल बैंक्स साढ़े नौ लाख करोड़ प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग में लोन दे रहे हैं। आर.बी.आई. ने जो समय-समय पर इसमें संशोधन किये, वे बड़े आश्चर्यजनक हैं। पहले डायरेक्ट लैंडिंग किसानों को होती थी, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लैंडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दीं। इसके कारण, यदि आप देखेंगे तो केवल 88 परसैन्ट किसान मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास दो से लेकर पांच एकड़ जमीन है। लेकिन जब वे बैंक्स से लोन लेने के लिए जाते हैं तो वे दो लाख-तीन लाख का लोन नहीं देते हैं, वे पांच करोड़, दस करोड़, पंद्रह करोड़ और पच्चीस करोड़ रुपये का लोन देते हैं। उसका कारण यह है कि किसानों के नाम पर रबर प्लान्टेशन, टी प्लान्टेशन, शुगरकेन प्लान्टेशन के लिए, मोटर साइकिल खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए और रिन्यूएबल इनर्जी के लिए यह लोन दिया जाता है और उसका कारण आर.बी.आई. की समय-समय पर पालिसी चेंज है। इस कारण से किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हैं।

मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है कि प्रायोरिटी सैक्टर लैंडिंग को रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए और डायरेक्ट लैंडिंग किसानों तक कैसे होगी, जिससे किसान आत्महत्या के लिए मजबूर न हों, उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Shri Rakesh Singh,

Shri Sanjay Dhotre,

Shri Shiv Kumar Udasi,

Shri Nana Patole,

Shri Kapil Moreshwar Patil,

Shri Devji M.Patel,

Shri Rabindra Kumar Jena,

DR. Kirit P. Solanki,

Shri Sharad Tripathi,

Shri Shrirang Appa Barne,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Chandra Prakash Joshi,

Shri Sudheer Gupta,

Shri Rodmal Nagar and

Shri Alok Sanjar is permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.